दिनांक 18.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 33/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पीएसी संस्थापना दिवस–2025 के अवसर पर वरिष्ठ अधिकारीगण/सेनानायकों का सम्मेलन

आज दिनाँक 18.12.2025 को पीएसी मुख्यालय स्थित संवाद सभागार में मुख्य अतिथि **श्री राजीव कृष्णा**, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की उपस्थिति में **श्री आर0के0 स्वर्णकार**, अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी की अध्यक्षता में जोन, सेक्टर एवं वाहिनियों में नियुक्त अधिकारियों के साथ सम्मेलन/संवाद गोष्ठी आयोजित की गयी।

सम्मेलन का शुभारम्भ पीएसी गीत के साथ किया गया। तदोपरान्त सम्मेलन में पीएसी बल से जुडे विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर पुलिस उपमहानिरीक्षक/सेनानायकों द्वारा क्रमशः निम्नलिखित प्रस्तुतीकरण किया गया–

1. **श्रीमती कल्पना सक्सेना**, पुलिस महानिरीक्षक पीएसी मेरठ अनुभाग मेरठ व **श्री अमित कुमार** सेनानायक 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ द्वारा ''पीएसी की व्यवसायिक दक्षता बढाने के लिये प्रशिक्षण'' विषय पर प्रस्तुतीकरण किया गया।
2. **श्री सत्येन्द्र कुमार** पुलिस महानिरीक्षक पीएसी आगरा अनुभाग, **श्री अमित कुमार** सेनानायक 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ एवं **श्री संतोष कुमार मीना** सेनानायक द्वितीय वाहिनी पीएसी सीतापुर द्वारा ''पीएसी में तकनीकी प्रयोग'' विषयक पर प्रस्तुतीकरण किया गया।
3. **श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह** संयुक्त निदेशक अभियोजन पीएसी मुख्यालय, **श्री धीरानन्द श्रीवास्तव** अभियोजन अधिकारी पीएसी मुख्यालय ''रिट की बढ़ती हुयी संख्या पर अंकुश लगाने की विधि'' विषय पर प्रस्तुतीकरण किया गया।
4. **श्री किरीट राठोड**, पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी, लखनऊ अनुभाग, **श्री रवि कुमार** सेनानायक 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर, **श्री दिनेश यादव** सेनानायक 41वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद द्वारा ''वृहद निर्माण/लघु निर्माण एवं अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों को गुणवत्तापूर्वक कराये जाने की रणनीति ''(Strategy)'' विषय पर प्रस्तुतीकरण किया गया।

5. **श्री अतुल शर्मा**, पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी, कानपुर अनुभाग, कानपुर, **श्री अनिरूद्ध कुमार** सेनानायक 28वीं वाहिनी पीएसी इटावा, **श्री सर्वेश कुमार मिश्र** सेनानायक चतुर्थ वाहिनी पीएसी प्रयागराज, **श्री शीतांशु कुमार** अपर पुलिस अधीक्षक पीएसी मुख्यालय द्वारा ''जेम पोर्टल से खरीददारी की प्रक्रिया–सीधे क्रय प्रक्रिया/अन्य क्रय प्रक्रिया, सावधानियों, वित्तीय प्रबन्धन इत्यादि'' विषय पर प्रस्तुतीकरण किया गया।

6. **श्री आकाश तोमर** सेनानायक 08वी वाहिनी पीएसी बरेली, **श्री कमलेश बहादुर** सेनानायक 49वी वाहिनी पीएसी गौतमबुद्धनगर द्वारा ''पीएसी में लघु दण्ड एवं दीर्घ दण्ड के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया, सावधानियॉ इत्यादि'' विषय पर प्रस्तुतीकरण किया गया।

7. **डा० ख्याति गर्ग,** सेनानायक, 09वीं वाहिनी पीएसी, मुरादाबाद व **श्री अमित कुमार** सेनानायक 23वी वाहिनी पीएसी मुरादाबाद द्वारा ''मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health)'' विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया गया।

8. **श्री मनोज कुमार सोनकर** पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी, वाराणसी अनुभाग, वाराणसी, **श्री नेपाल सिंह** सेनानायक 39वीं वाहिनी पीएसी मीरजापुर, **श्रीमती निहारिका शर्मा** सेनानायक 26वीं वाहिनी पीएसी गोरखपुर द्वारा ''आर०टी०सी० में चुनौतियों एवं सुधार'' विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया गया।

9. **श्रीमती कल्पना सक्सेना**, पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी, मेरठ अनुभाग, मेरठ, **श्री सचिन्द्र पटेल** सेनानायक 44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ, **श्रीमती चारू निगम** सेनानायक 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद द्वारा ''पुलिस माडर्न स्कूल में चुनौतियाँ एवं सुधार'' विषय पर प्रस्तुतीकरण किया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी उ0प्र0 महोदय द्वारा उपरोक्त प्रस्तुतीकरण बिन्दुओं पर क्रियान्वयन किये जाने का निर्देश दिया गया।

इस अवसर पर **श्री राजीव कृष्णा**, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश/राज्य पुलिस प्रमुख द्वारा पीएसी संस्थापना दिवस–2025 के अवसर पर सम्मेलन में उपस्थित अधिकारीगणों को संबोधित करते हुये कहा कि:–

उत्तर प्रदेश प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पी.ए.सी.) उत्तर प्रदेश पुलिस एवं राज्य सरकार का एकमात्र अर्धसैनिक बल है, जिसकी भूमिका प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रत्येक संगठन की अपनी संस्थागत शक्तियाँ और सीमाएँ होती हैं; ऐसे में दायित्व यह है कि शक्तियों को निरंतर सुदृढ़ किया जाए और कमियों को योजनाबद्ध ढंग से दूर किया जाए।

ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखने का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम प्रशिक्षण है—चाहे वह उसकी आवृत्ति हो या गुणवत्ता। उन्होंने इस दिशा में प्रारंभ किए गए प्रयासों को सराहनीय बताते हुए उन्हें निरंतर आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य स्पष्ट, व्यावहारिक और परिणामोन्मुख होना चाहिए, ताकि सिपाही से लेकर प्लाटून कमांडर तक प्रत्येक कार्मिक उसे उपयोगी और प्रासंगिक अनुभव कर सके।

प्रशिक्षण वास्तविक परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों और बल की संरचना के अनुरूप होना चाहिए तथा उसके अपेक्षित परिणाम पहले से निर्धारित और स्पष्ट होने चाहिए।

भीड़ नियंत्रण जैसे विषयों में दृश्य एवं उदाहरण—आधारित प्रशिक्षण, सही और गलत व्यवहारों को समानांतर प्रस्तुत कर, दिशा और लक्ष्य स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि इस समूची प्रक्रिया में नेतृत्व की भूमिका निर्णायक है—वर्तमान स्थिति का निष्पक्ष आकलन, लक्ष्य की स्पष्टता और उपलब्ध संसाधनों के भीतर प्रभावी प्रशिक्षण सुनिश्चित करना नेतृत्व की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

प्रशिक्षण बाहरी निर्भरता के बजाय संगठन की आंतरिक नेतृत्व क्षमता से विकसित होना चाहिए। हाल के महीनों में इस दिशा में हुई प्रगति को उन्होंने उत्साहजनक बताया और कहा कि यह संगठन की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने का संकेत है।

उन्होंने कहा कि वेलफेयर में हुए सुधार महत्वपूर्ण हैं, किंतु संसाधनों के अनुरूप ठोस और मापनीय आउटपुट भी अनिवार्य है।

पुलिस महानिदेशक ने अन्य केंद्रीय बलों के अनुभवों का उल्लेख करते हुए कहा कि कमान, ऑपरेशनल उपयोग और प्रशिक्षण—तीनों क्षेत्रों में सफलता के लिए लक्ष्य की स्पष्टता और प्रयासों की निरंतरता अनिवार्य है।

कार्य—आधारित एवं लक्ष्य—केंद्रित प्रशिक्षण ही पी.ए.सी. को अधिक सक्षम और आत्मविश्वासी बना सकता है।

उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षा व्यक्त की कि वे संगठन में अपनी भूमिका पर गंभीरता से विचार करें। स्थायी सुधार व्यक्तियों पर नहीं, बल्कि प्रभावी, पारदर्शी और व्यावहारिक प्रणालियों पर आधारित होते हैं—जिसका प्रमाण भर्ती प्रक्रियाओं में सफलतापूर्वक लागू की गई प्रणालियों से मिलता है।

अपने सम्बोधन के अंत में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पी.ए.सी. में उत्कृष्ट प्रदर्शन और उच्च स्तर के प्रोफेशनलिज्म की अपार संभावनाएँ विद्यमान हैं। ऐसे विमर्श और संवाद नई सोच एवं आत्ममंथन का अवसर प्रदान करते हैं। उद्देश्य की स्पष्टता, यथार्थवादी दृष्टिकोण और सीखने की खुली प्रवृत्ति के माध्यम से संगठन निरंतर प्रगति कर सकता है।

उन्होंने पी.ए.सी. के स्थापना दिवस के अवसर पर समस्त अधिकारियों एवं जवानों को हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए इस महत्वपूर्ण विमर्श के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

PAC RAISING DAY-2025

दिनांक 18.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 34/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बस्ती/थाना कोतवाली

• 25–25 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 18.12.2025 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर देवरांव पुल के पास से 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–लवकुश 2–अलगू 3–करन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–लवकुश निवासी देवरांव थाना कोतवाली जनपद बस्ती।

2–अलगू निवासी देवरांव थाना कोतवाली जनपद बस्ती।

3–करन निवासी देवरांव थाना कोतवाली जनपद बस्ती।

जनपद मऊ/थाना घोसी

• 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 18.12.2025 को थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नदवासराय मोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त धूपचन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना घोसी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना घोसी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–धूपचन्द्र निवासी भोपौरा थाना घोसी जनपद मऊ।

जनपद मऊ/थाना कोतवाली नगर

• 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 17.12.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डाड़ी चट्टी के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अभय राज को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अभय राज निवासी दशवथपुर थाना सुरियांवा जनपद भदोही।

जनपद कुशीनगर/थाना पटहेरवा

• 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 18.12.2025 को थाना पटहेरवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त जावेद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कुशीनगर, चंदौली, जौनपुर, मेरठ व कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में सीएस एक्ट आदि के 06 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना पटहेरवा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पटहेरवा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जावेद निवासी पिलोखड़ी रोड़ श्यामनगर थाना लिसाड़ीगेट जनपद मेरठ।

जनपद कुशीनगर/थाना कसया

● 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 18.12.2025 को थाना कसया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त मन्तोष को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना कसया पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कसया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मन्तोष निवासी जैतीपुर थाना लालगंज जनपद बैशाली।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढाना

● पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

● 01 मोटर साइकिल

● 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनॉकः 18.12.2025 को थाना बुढाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विज्ञाना पुलिया के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त शौकत उर्फ राशिद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बुढाना पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बुढाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शौकत उर्फ राशिद निवासी ग्राम नगला थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–3

• 01 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 18.12.2025 को थाना फेस–3 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अन्तरा के पास सेक्टर–68 की ओर जाने वाले रास्ते से अभियुक्त अजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके पास से बरामद मोटर साइकिल आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–3 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अजय निवासी ग्राम कियावली थाना उघैती जनपद बदायूँ, हालपता गली नं0–2 राहुल विहार 25 फुटा थाना सेक्टर–63 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 10 मोटर साइकिल आदि।

➢ **जनपद अयोध्या (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 13–14 करोड़ रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद अयोध्या पुलिस ने अभियुक्त राजा मानसिंह उर्फ मानसिंह पुत्र हनुमंत सिंह निवासी ग्राम सरियावाँ थाना पूराकलंदर जनपद अयोध्या व उनकी पत्नी द्वारा अवैध

रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत करीब 13–14 करोड़ रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **जनपद गोरखपुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद गोरखपुर पुलिस ने अभियुक्त चन्द्रशेखर आर्य पुत्र स्व0 रामधनी निवासी एलआईजी–डी–39/राप्ती नगर फेज–4 रेल बिहार रोड, शाहपुर जनपद गोरखपुर, स्थाईपता ग्राम बरहपार नसरतपुर थाना सादात जनपद गाजीपुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **जनपद बांदा/थाना मटौंध (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना मटौंध पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रियाज खान उर्फ पप्पू 2–अन्जुम खान उर्फ नूरी 3–विल्लू उर्फ अरबाज 4–शैलेन्द्र को आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हरदोई/थाना कासिमपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना कासिमपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/376ए,बी भादवि व 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नन्हे को आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 53 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा

376(ए,बी)/342/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मो0सलीम को आजीवन कारावास व 53 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना औरंगाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना औरंगाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452/376(3)/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विजयपाल को 20 वर्ष के कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————